पत्रांक:– 1459

कार्यालयः जिला कार्यक्रम अधिकारी, आगरा।

/जि0का0अधि0/आं0बा0च0/2025–26 दिनांकः 12–नवम्बर,2025

विज्ञप्ति

सर्व–साधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या–I/1092245/2025 /3313/58–1–2025 (1917687) दिनांक 17.09.2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद आगरा के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजना में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिका की मानदेय पर आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेब साइट **upanganwadibharti.in** पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। परियोजनावार रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	पूर्व चयन प्रक्रिया से आच्छादित आंगनवाड़ी कार्यकत्री के रिक्त पदों का विवरण					आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पदों का विवरण				
		अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	योग	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	योग
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
1	आगरा शहर	0	1	1	0	2	145	85	75	0	305
2	अकोला	0	0	0	0	0	9	5	3	0	17
3	बाह	0	0	0	0	0	7	4	3	0	14
4	बरौली अहीर	0	1	0	0	1	26	27	14	0	67
5	बिचपुरी	0	1	1	0	2	23	34	12	0	69
6	एत्मादपुर	0	0	0	0	0	30	22	18	0	70
7	फतेहाबाद	0	0	0	0	0	24	11	11	0	46
8	फतेहपुर सीकरी	0	0	0	0	0	29	14	12	0	55
9	जगनेर	0	0	0	0	0	19	9	10	0	38
10	जैंतपुर कलां	0	0	0	0	0	19	10	7	0	36
11	खन्दौली	0	0	1	0	1	27	15	19	0	61
12	खेरागढ	0	0	0	0	0	24	14	12	0	50
13	किरावली	0	0	2	0	2	22	13	12	0	47
14	पिनाहट	0	1	0	0	1	9	4	5	0	18
15	सैंया	0	0	0	0	0	29	12	14	0	55
16	शमसाबाद	0	0	0	0	0	38	21	12	0	71
	कुल योग	**0**	**4**	**5**	**0**	**9**	**480**	**300**	**239**	**0**	**1019**

उपरोक्त पदों का ग्रामसभा/वार्डवार एवं आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्ट्रेट, विकास भवन, तहसील एवं विकास खण्ड इत्यादि कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है साथ ही विभागीय वेबसाइट **upanganwadibharti.in** पर अपलोड है।

<u>विज्ञप्ति पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देशः–</u>

1– विज्ञापित पदों हेतु केवल **महिला अभ्यर्थी** ही पात्र होगें।

2– चयन की समस्त कार्यवाही एवं विज्ञप्ति की समस्त नियम व शर्ते बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग उ0प्र0 के शासनादेश संख्या–I/1092245/2025 /3313/58–1–2025 (1917687) दिनांक 17.09.2025 में वर्णित प्रक्रिया के अधीन होगी।

3– आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिका पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट एवं उसके समकक्ष होगी।

4– आवेदिका को रिक्त पद के वार्ड (शहरी)/ग्राम सभा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य होगा।

5– आवेदिका की आयु **दिनांक 01 जुलाई 2025** को न्यूनतम **आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 35** वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए। आयु के सम्बन्ध में हाईस्कूल अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। उपरोक्त के अतिरिक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी एवं सामान्य जाति के किसी भी अभ्यर्थियों को पृथक से आयु सीमा में कोई छूट प्रदान नही होगी।

6– विज्ञाप्ति पदों हेतु केवल विभागीय वेबसाइट **upanganwadibharti.in** पर ऑनलाइन आवेदन पर निर्धारित फार्म समयावधि के अन्दर ही स्वीकार्य होंगे। ऑफ लाइन आवेदन पत्र किसी भी दशा में मान्य/स्वीकार नही किये जायेगें।

7– ऑनलाइन आवेदन करने मे कोई त्रुटि होती है या कोई तथ्य/आंकड़े/शैक्षिक अभिलेखों के प्राप्तांक/पूर्णांक गलत या कूटरचित पाए जाएंगे तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।

Scanned with OKEN Scanner

8– आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध फार्मेट पर ऑनलाइन व सही–सही सावधानी पूर्वक भरना होगा। आवेदिका द्वारा नवीनतम फोटो, हस्ताक्षर एवं समस्त अभिलेखों की स्व–हस्ताक्षरित प्रति, जो स्वच्छ व पठनीय हो अपलोड किया जाना अनिवार्य है, जिनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन फार्म में किया गया हो।

9– विज्ञापित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की **अन्तिम तिथि 03.12.2024 मध्य रात्रि 12:00 बजे** तक होगी।

10– विधवा/तलाकशुदा/गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अभ्यर्थी को शासनादेश में निहित व्यवस्था के क्रम में चयन में वरीयता दी जायेगी। विधवा के सम्बन्ध में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी एवं सम्बन्धित नगर निगम द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र तथा परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति ही मान्य होगी। तलाकशुदा/परित्यकता के सम्बन्ध में विधिक/न्यायालय का आदेश ही मान्य होगा।

11– आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी/तहसीलदार के स्तर से निर्गत ऑन लाइन प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे।

12– उपरोक्त पदों की अर्हता आवेदन की प्रकिया एवं विस्तृत जानकारी हेतु उपरोक्त वेबसाइट का अवलोकन करें तथा **upanganwadibharti.in** से उपरोक्त शासनादेश डाउनलोड कर ठीक प्रकार से पढ़ ले। अधिक जानकारी हेतु सम्बन्धित बाल विकास परियोजना कार्यालय/जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय, विकास भवन आगरा से जानकारी प्राप्त कर लें।

13– आंगनबाड़ी कार्यकत्री व सहायिका के सभी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या समकक्ष एवं अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जायेगी। इसके लिए कोई लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार नही लिया जायेगा।

14– अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पूर्व वेबसाइट पर उपलब्ध शासनादेश एवं निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें, जिससे किसी प्रकार की त्रुटि जनित हानि से बचा जा सकें।

15– आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिका का पद मानदेय आधारित है। आंगनबाड़ी कार्यकत्री को मानदेय रूपया 4500.00 एवं अतिरिक्त मानदेय रूपया 1500.00 कुल **6000.00** रूपया एवं प्रोत्साहन राशि प्रतिमाह देय होगी। इसी प्रकार आंगनबाड़ी सहायिका को मानदेय रूपया 2250.00 एवं अतिरिक्त मानदेय रूपया 750.00 कुल **3000.00** रूपया एवं प्रोत्साहन राशि प्रतिमाह देय होगी। भविष्य में मानदेय के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेश का अनुपालन किया जायेगा।

16– आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में समाज कल्याण अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 22/2015/2123/26–2–2015 दिनांक 14 सितम्बर,2015 द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46080.00 वार्षिक एवं शहरी क्षेत्र में रू0 56460.00 वार्षिक आय सीमा का अनुपालन किया जायेगा। आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग–9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या– 3959/1–9–11–राज0–9 दिनांक 30.09.2011 (यथा संशोधित) के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑन लाइन सत्यापन सम्भव हो सके।

17– विज्ञापित पदों की संख्या घट–बढ़ सकती है। जो वेबसाइट पर प्रदर्शित होगी।

12.11.2025

(मनोज कुमार मौर्या)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
आगरा।

पृष्ठांकनः– /तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ0प्र0, लखनऊ।
2– जिलाधिकारी महोदय, आगरा।
3– मुख्य विकास अधिकारी, आगरा।
4– समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी/प्रभारी जनपद–आगरा को इस निर्देश के साथ उपरोक्त विज्ञप्ति अपने कार्यालय पर चस्पा करायें।
5– समस्त प्रमुख कार्यालयों के सूचनापट पर चस्पा हेतु।
6– जिला सूचना अधिकारी आगरा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त के सम्बन्ध में प्रचार–प्रसार हेतु जनपद के सर्वाधिक प्रसारित दैनिक समाचार पत्र में निःशुल्क विज्ञप्ति प्रकाशित कराने का कष्ट करे।
7– सम्पादक हिन्दुस्तान एवं अमर उजाला आगरा को इस अनुरोध के साथ कि अपने समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करने के साथ बिल भुगतान हेतु अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8– पत्रावली हेतु।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
आगरा।

Scanned with OKEN Scanner